

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. \*487

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

**कुटुंब न्यायालय**

**\*487. श्री जी. सेल्वम:**

**श्री सी. एन. अन्नादुरई**

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में कितने कुटुंब न्यायालय कार्यरत हैं ;

(ख) क्या सरकार का ऐसे क्षेत्रों में नए कुटुंब न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जहां ये अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में इसके जिलावार कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है ;

(ग) क्या सरकार वैवाहिक और अभिरक्षा से संबंधित मामलों को निपटाने में कुटुंब न्यायालयों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से अवगत है, यदि हां, तो न्यायाधीशों की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी और प्रक्रियागत विलंब सहित ऐसी चुनौतियों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) देश में कुटुंब न्यायालयों के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ;

(ङ) क्या सरकार ने कुटुंब न्यायालयों में मध्यस्थता और परामर्श जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के उपयोग को प्रोत्साहित किया है, यदि हां, तो ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है और उनकी सफलता की दर कितनी है ; और

(च) सरकार की न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए एडीआर तंत्रों को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु क्या योजना है ?

**उत्तर**

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);  
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

**(क) से (च) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**'कुटुंब न्यायालय' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*487 के, जिसका उत्तर तारीख 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है, भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**(क) से (घ) :** कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और कुटुंब मामलों से संबंधित विवादों के त्वरित निपटान के लिए रक्षोपाय करने और उनसे जुड़े मामलों के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के अधीन, राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करें, जिसमें एक शहर या एक कस्बा सम्मिलित है, जिसकी आबादी दस लाख से अधिक है। राज्यों के अन्य क्षेत्रों में भी, यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझे तो कुटुंब न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटारा अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, *अन्य बातों के साथ*, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद की पर्याप्त संख्या में

उपलब्धता और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों अर्थात् बार, अन्वेषण एजेंसियों, गवाहों और वादियों का सहयोग तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है। केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के शीघ्र निपटारे और लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28.02.2025 तक, तमिलनाडु राज्य में 40 कुटुंब न्यायालयों सहित देश भर में 914 कुटुंब न्यायालय कार्यरत हैं। कार्यरत कुटुंब न्यायालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **उपाबंध** में है।

कुटुंब न्यायालयों में, कार्यवाही में देरी तनाव को बढ़ाती है और भावनात्मक तनाव को बढ़ाती है, समय पर विवाद समाधान में बाधा डालती है। न्यायालय के निर्णयों के बावजूद बाल अभिरक्षा, मुलाकात के अधिकार और वित्तीय सहायता पर निर्णय लागू करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिससे निरंतर संघर्ष और हताशा होती है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय में पेशी के लिए दूसरे शहर की यात्रा की आवश्यकता महत्वपूर्ण संभारतंत्र और वित्तीय बोझ डालती है, खासकर उन परिवारों के लिए जो पहले से ही तनाव में हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परामर्शदाता सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर निर्भर करती है। कुटुंब न्यायालयों में सुधार के लिए पर्याप्त अवसंरचना और विशेषीकृत न्यायाधीशों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण के साथ-साथ न्यायाधीशों, न्यायालय के कर्मचारियों और हितधारकों को संवेदनशील बनाना, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने, पूर्वाग्रह को कम करने और सभी पक्षकारों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनिवार्य है। महिला न्यायाधीशों और परामर्शदाताओं की नियुक्ति पर विचार करने से प्रणाली की प्रभावशीलता में और वृद्धि हो सकती है। सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को विधि और न्याय मंत्री के स्तर पर पत्राचार करके इन मुद्दों को राज्यों/उच्च न्यायालयों के ध्यान में लाया गया है।

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुंब न्यायालय को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित परामर्शदाताओं, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और प्रवर्ग निर्धारित करें और कुटुंब न्यायालय को ऐसे परामर्शदाता, अधिकारी और अन्य कर्मचारी प्रदान करें जिन्हें वह ठीक समझे।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का उपबंध करने के लिए निम्नानुसार अनेक पहलें की हैं :

- i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों में कमी करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही में अभिवृद्धि करके और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को सुनिश्चित करके पहुंच में वृद्धि करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए समन्वयित दृष्टिकोण का अनुसरण करता रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए ऐसी बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत पदसंख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी से ग्रस्त क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनर्निर्माण करना तथा मानव संसाधन विकास पर बल देना है।
- ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को न्यायालय हॉलों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों के जीवन को आसान बनाया जा सके और जिससे न्याय परिदान में सहायता मिलेगी। 28.02.2025 तक, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ के पश्चात् 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हॉलों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 को 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 को 19,775 हो गई है।
- iii. इसके अलावा, ई-न्यायालय मिशन मोड परिसकीम के चरण I और II के अधीन, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का लाभ उठाया गया था। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया

गया था। 99.5% न्यायालय परिसरों को वैन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 13,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा सक्षम की गई है। 28.02.2025 तक, जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्रों और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्रों को वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए कार्यात्मक बनाया गया है। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों की स्थापना की गई है। 28.02.2025 तक, इन न्यायालयों ने 6.95 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 736.11 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया है। मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालय परिसंस्कीर्ण के चरण- III को मंजूरी दी है। चरण- I और चरण- II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालय चरण- III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और कामजविहीन न्यायालयों की ओर बढ़कर न्याय की बढ़ी हुई आसानी की व्यवस्था आरंभ करना है। यह सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करने का आशय रखता है।

- iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों की स्थापना की गई है। जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियां गठित की गई हैं।
- v. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान के अधीन, जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से संबंधित मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की गई है। 28.02.2025 तक, देश भर में 857 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए नौ (9) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए पूरे देश में त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना करने की स्कीम अनुमोदित की है। 28.02.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पोक्सो (ईपोक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने 3,13,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।
- vi. लंबित मामलों को कम करने और न्यायालयों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया है।
- vii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्थान मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यकता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015, 2019 और 2021 में संशोधन किए गए हैं।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई के लिए एक उपबंध है, जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन का उपबंध करता है ताकि विवाद का समय पर और गुणात्मक समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए आरंभ की गई एक और नई विशेषता रंग बैडिंग की प्रणाली है जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दिए जा सकने वाले स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित करती है और न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

- viii. लोक न्यायालय आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या मुकदमेबाजी-पूर्व चरण में लंबित विवादों/मामलों का

सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक न्यायालय द्वारा दिए गए पंचाट को सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है। लोक न्यायालय स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतों, सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में पूर्व-नियत तारीख को एक साथ आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं: -

| वर्ष       | मुकदमेबाजी पूर्व मामले | लंबित मामले        | महारोग              |
|------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 2021       | 72,06,294              | 55,81,743          | 1,27,88,037         |
| 2022       | 3,10,15,215            | 1,09,10,795        | 4,19,26,010         |
| 2023       | 7,10,32,980            | 1,43,09,237        | 8,53,42,217         |
| 2024       | 8,70,19,059            | 1,75,07,060        | 10,45,26,119        |
| <b>कुल</b> | <b>19,62,73,548</b>    | <b>4,83,08,835</b> | <b>24,45,82,383</b> |

- ix. सरकार ने 2017 में टेली-लाँ कार्यक्रम आरंभ किया, जो एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो जरूरतमंद और वंचित वर्गों को पैनेल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से जोड़ता है, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और टेली-लाँ मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध हैं।

\*टेली-लाँ डाटा का प्रतिशत-वार ब्यौरा

| प्रवर्ग                 | रजिस्टर्ड          | प्रतिशतवार ब्रेक अप | सक्षम की गई सलाह   | प्रतिशतवार ब्रेक अप |
|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>लिंग वार</b>         |                    |                     |                    |                     |
| स्त्री                  | 43,50,146          | 39.53%              | 42,92,045          | 39.49%              |
| पुरुष                   | 66,55,274          | 60.47%              | 65,77,616          | 60.51%              |
| <b>जाति प्रवर्ग वार</b> |                    |                     |                    |                     |
| सामान्य                 | 25,94,779          | 23.58%              | 25,54,696          | 23.50%              |
| ओबीसी                   | 34,67,629          | 31.51%              | 34,21,343          | 31.48%              |
| अनुसूचित जाति           | 34,55,009          | 31.39%              | 34,19,433          | 31.46%              |
| अनुसूचित जनजाति         | 14,88,003          | 13.52%              | 14,74,189          | 13.56%              |
| <b>कुल</b>              | <b>1,10,05,420</b> |                     | <b>1,08,69,661</b> |                     |

\*28.02.2025 तक के आंकड़े।

- x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो वकील के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं उमंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनेल आरंभ किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति संवर्धन करने के लिए 109 विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब आरंभ किए गए हैं।

(ड) और (च) : सरकार, सौहार्दपूर्ण निपटान को सुकर बनाने और मुकदमेबाजी के भार को कम करने के लिए कुटुंब न्यायालयों में मध्यकता और परामर्श सहित अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) तंत्रों को बढ़ावा दे रही है क्योंकि ये तंत्र कम प्रतिकूल हैं और विवादों के समाधान के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं। अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र के उपयोग से न्यायपालिका पर भार कम होने और इस प्रकार देश के नागरिकों को समय पर न्याय प्रदान करने में समर्थ होने की भी आशा की जाती है। सरकार इन तंत्रों को सुदृढ़ करने और उन्हें और अधिक प्रभावोत्पादक और त्वरित बनाने के लिए नीतिगत और विधायी हस्तक्षेप कर रही है।

कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 9 कुटुंब न्यायालयों को पारिवारिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता और सुलह के महत्व पर बल देते हुए मुकदमेबाजी की कार्यवाही करने से पूर्व निपटान के लिए प्रयास करने का अधिदेश देती है।

\*\*\*\*\*

28.02.2025 तक कार्यात्मक कुटुंब न्यायालयों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम  | कार्यात्मक कुटुंब न्यायालयों की संख्या |
|----------|-----------------------------------|--|
| 1        | आंध्र प्रदेश                      | 16                                     |
| 2        | अंदमान और निकोबार द्वीप समूह      | 1                                      |
| 3        | अरुणाचल प्रदेश                    | 0                                      |
| 4        | असम                               | 7                                      |
| 5        | बिहार                             | 39                                     |
| 6        | चंडीगढ़                           | 0                                      |
| 7        | छत्तीसगढ़                         | 27                                     |
| 8        | दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव | 0                                      |
| 9        | दिल्ली                            | 30                                     |
| 10       | गोवा                              | 0                                      |
| 11       | गुजरात                            | 108                                    |
| 12       | हरियाणा                           | 33                                     |
| 13       | हिमाचल प्रदेश                     | 3                                      |
| 14       | जम्मू-कश्मीर                      | 4                                      |
| 15       | झारखंड                            | 30                                     |
| 16       | कर्नाटक                           | 41                                     |
| 17       | केरल                              | 37                                     |
| 18       | लद्दाख                            | 2                                      |
| 19       | लक्षद्वीप                         | 0                                      |
| 20       | मध्य प्रदेश                       | 64                                     |
| 21       | महाराष्ट्र                        | 51                                     |
| 22       | मणिपुर                            | 4                                      |
| 23       | मेघालय                            | 0                                      |
| 24       | मिजोरम                            | 0                                      |
| 25       | नागालैंड                          | 2                                      |
| 26       | ओडिशा                             | 30                                     |
| 27       | पुडुचेरी                          | 2                                      |
| 28       | पंजाब                             | 34                                     |
| 29       | राजस्थान                          | 50                                     |
| 30       | सिक्किम                           | 6                                      |
| 31       | तमिलनाडु                          | 40                                     |
| 32       | तेलंगाना                          | 22                                     |
| 33       | त्रिपुरा                          | 9                                      |
| 34       | उत्तर प्रदेश                      | 189                                    |
| 35       | उत्तराखंड                         | 27                                     |
| 36       | पश्चिमी बंगाल                     | 6                                      |
|          | कुल                               | 914                                    |

\*\*\*\*\*